

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम कठुमार

गोविन्दसिंह बनाम नन्दराम वगै०

राजस्व बाद 11/77/2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
<p>05.08.2021</p> <p>22/9/21</p> <p>26/11/21</p> <p>31/3/22</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड/साधारण नोटिस से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 22.09.2021 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी कठुमार (अलवर)</p> <p>मुकाम कोर्टिन एच.प.ओ. राहब ... दिनांक 26/11/21 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली 26/11/21 को पेश हुई - पक्षकारान्.....</p> <p>नहीं होने के कारण प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका। अतः पत्रावली दिनांक 31/3/22 को न्यायालय हाजा में पेश हो</p> <p>उपखण्ड अधिकारी कठुमार (अलवर)</p> <p>वकील वादी</p> <p>दिनांक 14/6/22 को पेश हो।</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ</p>

14.6.22

उपखण्ड अधिकारी कठुमार (अलवर)

मुकाम कोर्टिन एच.प.ओ. राहब ... दिनांक 23/8/22 को पेश हो।

18/7/22

पत्रावली अति वकीलवर्ती के आर्गिना पत्र पर लख हैक (कि) की
वकील आर्गिना के आर्गिना-पत्र पर अपने कद को दर्शा
स्टेज पर खारिज भाने का निवेदन किया। धातु पत्र पत्रावली
का अकल्पित किया। अतः दावा वकील वर्ती के आर्गिना-पत्र
के आधार पर ही स्टेज पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली में मूल शुभारंभ होता है कि वह कद लखील
जिला प्रखंड लेख भण्डार वा (सु-नाम)

अंतर्गत

बाद यलाक
नकी बाकवली

जाति-पत्रावली

18-7-22

उपखण्ड अधिकारी
कठुमर (अलवर)